

(2024) 6 एस.सी.आर. 36:2024 आईएनएससी 362

**दीपेंद्र यादव व अन्य**

**विरुद्ध**

**मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**

(सिविल अपील क्रमांक 5604/2024)

01 मई, 2024

**(न्यायमूर्तिगण सी.टी.रविकुमार और संजय कुमार\*)**

### **विचारणीय प्रश्न**

(i) क्या सामान्यीकरण की प्रक्रिया और दो मुख्य परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के परिणामी विलय में कोई त्रुटि पाई जा सकती है; (ii) क्या मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 के नियम 4 (3) (डी) (III) ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के हितों को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाया है।

### **शीर्ष टिप्पणियाँ**

मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 – उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (म.प्र.लो.से.आ.) द्वारा दिनांक 10/10/2022 को लिए गए निर्णय को अमान्य कर दिया, जिसमें पहले आयोजित मुख्य परीक्षा को रद्द करके एक नई मुख्य परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था, और म.प्र.लो.से.आ. को फिर से तैयार प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के अनुसार नए योग्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष मुख्य परीक्षा, जैसा कि पहले कई अवसरों पर किया गया था, आयोजित करने का निर्देश दिया— एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि इन दो मुख्य परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर, पिछले अवसरों पर म.प्र.लो.से.आ.द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, दोनों सूचियों को मिलाकर और सामान्यीकरण करके, साक्षात्कार के लिए 2015 के नियमों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की एक नई सूची तैयार की जानी चाहिए—उच्च न्यायालय की खंड न्याय पीठ निर्णय दिनांकित

25/01/2023 द्वारा अपील को यह मानते हुए खारिज किया कि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत, उचित और तर्कपूर्ण था- शुद्धता:

**अभिनिर्धारित** -उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अतुल कुमार द्विवेदी और अन्य मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाने में की गई मेहनत कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप थी-इस न्यायालय ने आगे कहा कि लोक सेवा आयोगों सहित विशेषज्ञ निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों में तब तक सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि शक्ति के मनमाने और दुर्भावनापूर्ण प्रयोग का मामला स्थापित नहीं किया जाता है प्रस्तुत मामले में, दो विशेषज्ञ, जिन्होंने सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करने में म.प्र.लो.से.आ. का मार्गदर्शन किया था, अपनाई गई कार्यप्रणाली को समझाने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए-विशेषज्ञों ने न्यायालय को संतुष्ट किया कि सभी अभ्यर्थियों को एक समान मंच पर लाने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई थी, ताकि साक्षात्कार के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सके-यह दो मुख्य परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के लिए समान रूप से एक सूत्र लागू करके किया गया था, ताकि उनके अंक तुलनीय और एक एकीकृत अंक सूची तैयार करने में सक्षम हो सकें- अपनाई गई प्रक्रिया या लागू किए गए फार्मूले में कोई कमी नहीं है - इसलिए, सामान्यीकरण की प्रक्रिया और दो मुख्य परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के परिणामी विलय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है - इस प्रकार, उच्च न्यायालय की खंड न्यायापीठ द्वारा पारित दिनांक 25/01/2023 के आक्षेप निर्णय को कायम रखा गया। [कंडिका 26, 27, 29]

**मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 – नियम 4 – दिनांक 17/02/2020 को संशोधन – दिनांक 20/12/2021 को संशोधन वापस लिया जाना – नियम 4 (3) (डी) (III) का लोप:**

**अभिनिर्धारित :** नियम 4 की कार्यप्रणाली में 17/02/2020 को किए गए संशोधन से बड़ा बदलाव आया है-2015 के नियमों के संशोधित नियम 4 में प्रावधान है कि मेधावी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का मेधावी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ समायोजन और पृथक्करण केवल अंतिम चयन के समय होगा, प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के समय नहीं। इसके बाद दिनांक 20/12/2021 को 2015 के नियमों में पुनः संशोधन किया गया - दिनांक 17/02/2020 को किए गए संशोधन से पूर्व की स्थिति बहाल की गई - इसके अतिरिक्त संशोधित नियम 4(3)(डी) (III) को 2015 के नियमों से पूर्णतः हटा दिया गया - इस प्रकार की चूक का परिणाम तथा नियम 4(1)(ए)(ii), जैसा कि वर्तमान में है, यह है कि आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थी, जिन्होंने छूट का कोई लाभ नहीं लिया था, उन्हें प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करते समय अनारक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों के साथ जोड़ा जाना है- 2015 के नियमों के नियम 4 (3) (डी) (III) ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के हितों को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ऐसी श्रेणियों के मेधावी अभ्यर्थी, जिन्होंने किसी भी आरक्षण लाभ/छूट का लाभ नहीं उठाया था, उन्हें भी उन आरक्षित श्रेणियों से संबंधित माना जाना था और उन्हें प्रारंभिक परीक्षा परिणाम चरण में मेधावी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ अलग नहीं किया जाना था। परिणामस्वरूप, उन्होंने आरक्षित श्रेणी के स्थानों पर कब्जा करना जारी रखा, जो अन्यथा उस श्रेणी की योग्यता सूची में नीचे के योग्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों मिलता, अगर उन्हें उनके अंकों के आधार पर मेधावी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ शामिल किया जाता। [कंडिका 5,8,30]

### **निर्णयज विधि उद्धृत**

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य विरुद्ध अतुल कुमार द्विवेदी और अन्य [2022] 1 एससीआर 28: (2022) 11 एससीसी 578; ताजवीर सिंह सोढ़ी और अन्य विरुद्ध जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य [2023] 3 एससीआर 714: 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 344; सौरव यादव और अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2020] 11 एससीआर 281: (2021) 4 एससीसी 542 – संदर्भित।

किशोर चौधरी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य और अन्य (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डब्ल्यू.पी. क्रमांक 542/2021); हर्षित जैन एवं अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डब्ल्यू.पी.क्र. 23828/2022) – संदर्भित।

### अधिनियमों की सूची

मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015; भारत का संविधान; मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जन जातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994।

### मुख्य शब्दों की सूची

मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 का नियम 4; मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 का नियम 4 दिनांक 17/02/2020 को संशोधित; मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 का नियम 4 दिनांक 20/12/2021 को संशोधित; मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 के नियम 4(3)(डी)(III) का लोप; विलयन एवं सामान्यीकरण; सामान्यीकरण की प्रक्रिया; विशेषज्ञ निकाय।

### से उत्पन्न मामला

सिविल अपील की क्षेत्राधिकारिता: सिविल अपील क्रमांक 5604/2024 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जबलपुर, द्वारा रिट अपील क्रमांक 1706/2022 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25/01/2023 विशेष अनुमति याचिका (सी) क्रमांक 23514 और 27620/2023 के साथ

### पक्षकारों के लिए उपस्थिति

उपस्थित पक्षकारों के लिए-सौरभ मिश्रा, एएजी, आर. बाला सुब्रमण्यम, गौरव अग्रवाल, राकेश खन्ना, आत्मा राम एन.एस. नाडकर्णी, वरिष्ठ अधिवक्तागण, जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी, अमित शर्मा, आलोक कुमार, रवि कुमार, शशांक गौरव, रामेश्वर सिंह ठाकुर, सुश्री समृद्धि एस जैन, मनन डागा, चैतन्य दीक्षित, अमन वर्मा, राकेश मिश्रा, हर्ष पाराशर, आकाश लालवानी, सनी चौधरी, अभिनव श्रीवास्तव, शिवांग रावत, डॉ. हर्ष पाठक, सुश्री श्वेता महाजन, मोहित चौबे, एसएस रेबेलो, सुश्री दीप्ति, अधिवक्तागण।

### उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

#### निर्णय

#### न्यायमूर्ति -संजय कुमार

1. केवल वि.अनु. या. (सिविल ) क्रमांक 5817 में 2023 में अनुमति दी गयी ।
2. मध्य प्रदेश राज्य में नौकरी के इच्छुक बहुसंख्यक अभ्यर्थियों को प्रभावित करने वाली राज्य की ओर से हुई एक चूक इस मुकदमे के उदभव के लिए दायी है । चूक 17/02/2020 पर एक मौजूदा सेवा नियम का संशोधन था जिसे बाद में 20/2/2021 पर वापस लेकर नियम को अपनी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित किया गया, लेकिन इस अंतर्काल में उस संशोधित नियम को चल रही भर्ती प्रक्रिया पर लागू किया गया था। इसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, के समक्ष कई चुनौतियाँ को प्रेरित किया, जिसमें बड़ी संख्या में आदेश और निर्देश के परिणामस्वरूप प्रकरण हमारे समक्ष है।
3. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (म.प्र.लो.से.आ.) ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा नियम, 2015 (संक्षेप में, '2015 के नियम') के अनुसार राज्य सेवाओं में 571 पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु 14/11/2019 को विज्ञापन जारी किया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए 2015 के नियम बनाए गए थे। इन पदों को भरने के लिए म.प्र.लो.से.आ. द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा-2019 आयोजित की जानी थी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होना था। प्रारंभिक परीक्षा 12/01/2020 को हुई थी । प्रारंभिक

परीक्षा के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों की कुल संख्या 3,64,877 थी, लेकिन वास्तव में उनमें से केवल 3,18,130 ही परीक्षा में उपस्थित हुए। उस प्रक्रम पर, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 2015 के नियमों के नियम 4 में 17/02/2020 को संशोधन किया गया था। नियम 4, जैसा कि यह संशोधन से पहले था और इस निर्णय के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक सीमा तक, इस प्रकार है:

‘4 .चयन सूची तैयार करने का तरीका:-

(1) (क)(एक) प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित रिक्तियों के १५ गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को इस शर्त के अधीन रहते हुए मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जावेगा, कि उन्होंने उतने न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित किये हों, जितने कि आयोग विनिर्दिष्ट करे। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी अभ्यर्थियों जो "कट ऑफ अंकों " के बराबर अंक प्राप्त करते हुए, मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किये जायेंगे।

(दो) प्रथमतः अनारक्षित वर्ग की सूची तैयार की जायेगी। इस सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यर्थी सामान्य गुणानुक्रम के आधार पर शामिल किये जायेंगे जिन्होंने सम्बन्धित प्रवर्ग को दिए जाने वाले लाभ/शिथिलीकरण नहीं लिया है।

(तीन) द्वितीयतः अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों की पृथक सूचियां तैयार की जाएगी।

.....

(घ) चारों सूचियां तैयार करने के पश्चात् सफल अभ्यर्थियों की सामान्य सूची अनुक्रमांक अनुसार तैयार की जाएगी तथा तत्पश्चात् परिणाम घोषित किया जायेगा।’

4. उपरोक्त नियम 4 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों, जिन्होंने किसी भी आरक्षण लाभ का लाभ नहीं लिया था, और अनारक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों के साथ जोड़कर घोषित किया जाना था, न कि उनके संबंधित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ। जबकि, 17/02/2020 को प्रभावी संशोधन ने इस पद्धति में एक बड़ा बदलाव लाया। जहाँ तक प्रासंगिक है, 2015 के नियमों के संशोधित नियम 4 का पाठ इस प्रकार है:

‘4 .चयन सूची तैयार करने का तरीका:-

(1) (क)(एक) प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित रिक्तियों के १५ गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को इस शर्त के अधीन रहते हुए मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जावेगा, कि उन्होंने उतने न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित किये हों, जितने कि आयोग विनिर्दिष्ट करे। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी अभ्यर्थियों जो "कट ऑफ अंकों " के बराबर अंक प्राप्त करते हुए, मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किये जायेंगे।

(दो) अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी। सभी वर्गों में महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को नियमों तथा समय समय पर इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

.....

(घ) चारों सूचियां तैयार करने के पश्चात सफल अभ्यर्थियों की सामान्य सूची अनुक्रमांक अनुसार तैयार की जाएगी तथा तत्पश्चात परिणाम घोषित किया जायेगा।

.....

(3) (घ) (1) प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के परिणाम, अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनकी श्रेणी के रूप में उल्लिखित श्रेणी में घोषित किया जाएगा।

(II) आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थी जो बिना किसी छूट के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की तरह चुने जाते हैं, उन्हें उन आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। उन्हें अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(III) लेकिन उपरोक्त समायोजन केवल अंतिम चयन के समय होगा, प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के समय नहीं।'

5. वस्तुतः, 2015 के नियमों के संशोधित नियम 4 में प्रावधान किया गया है कि आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों का समायोजन और पृथक्करण मेधावी अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ केवल अंतिम चयन के समय होगा, न कि प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के समय।

6. आश्चर्य की बात है कि संशोधित नियम 4 अधिसूचित 571 रिक्त पदों से संबंधित चल रही भर्ती प्रक्रिया पर लागू किया गया था। संशोधित नियम 4 लागू करते हुए 12/01/2020 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 21/12/2020 को घोषित किया गया। इस प्रकार, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों से अलग नहीं किया गया था और उन्हें केवल उनकी संबंधित आरक्षण श्रेणियों में दर्शाया गया था। इस आधार पर प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 10,767 थी।
7. हालांकि, 2015 के नियमों के संशोधित नियम 4(3)(डी)(III) की शक्तियाँ को कुछ अभ्यर्थियों द्वारा जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं के एक समूह में चुनौती दी गई थी। उन मामलों में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22/01/2021 द्वारा, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम दिनांक 21/12/2020 के अनुसार शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया रिट याचिकाओं के परिणाम के अधीन रहेगी। इसके अनुसरण में, म.प्र.लो.से.आ. ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा-2019 की मुख्य परीक्षा 21/03/2021 से 26/03/2021 तक आयोजित की। जबकि, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 2015 के नियमों को फिर से 20/12/2021 को संशोधित किया गया था। इस प्रकार, 17/02/2020 पर प्रभावी संशोधन से पहले विद्यमान स्थिति को पुनर्स्थापित किया गया था। 2015 के नियमों का नया संशोधित नियम 4 इस प्रकार है:
- 4(1) (क)(एक) प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित रिक्तियों के 20 गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को इस शर्त के अधीन रहते हुए मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जावेगा, कि उन्होंने उतने न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित किये हों, जितने कि आयोग विनिर्दिष्ट करे। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी अभ्यर्थियों जो "कट ऑफ अंकों" के बराबर अंक प्राप्त करते हुए, मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किये जायेंगे।
- (दो) सबसे पहले, अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ अंक निर्धारित किये जायेंगे। इसके बाद, अनारक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति, जनजाति जनजाति, अन्य जनजाति वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से संबंधित वे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के निर्धारित "कट ऑफ" से अधिक या उसके अंक बराबर प्राप्त हुए हैं और जिन्होंने समय-समय

पर छूट का लाभ उठाया है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी की सूची से अलग करके संबंधित श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

(तीन) दूसरे चरण में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों की श्रेणी-वार अलग-अलग सूची तैयार करके आरक्षित अभ्यर्थियों के श्रेणी-वार कट ऑफ अंक निर्धारित किए जाएंगे।

.....

(ग) सभी पाँच सूचियों को तैयार करने के बाद, योग्य अभ्यर्थियों की एक सामान्य सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद परिणाम अनुक्रमांक के अनुसार घोषित किया जाएगा।

8. इसके अलावा, संशोधित नियम 4 (3) (डी) (III) को 2015 के नियमों से पूरी तरह से हटा दिया गया था। इस तरह की चूक और नियम 4 (1) (ए) (ii) का परिणाम, जैसा कि वर्तमान में है, यह है कि आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थी, जिन्होंने छूट का कोई लाभ नहीं लिया था, उन्हें प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित करते समय अनारक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों के साथ जोड़ा जाना है। वास्तव में, पूर्व यथास्थिति पुनर्स्थापित कर दी गई ।
9. इस संशोधन के बावजूद, 21/03/2021 और 26/03/2021 के बीच आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम म.प्र.लो.से.आ. द्वारा 31/12/2021 को घोषित किया गया था और साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1918 थी। हालाँकि, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, की एक खंड न्याय पीठ ने निर्णय, दिनांक 07/04/2022 के द्वारा लंबित रिट याचिकाओं, अर्थात्, डब्ल्यू.पी. क्रमांक 542/2021 और समूह, जिसका शीर्षक **‘किशोर चौधरी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य और अन्य’** है, को आंशिक रूप से अनुमति दी। मामलों के इस समूह में चुनौती न केवल 2015 के नियमों के संशोधित नियम 4 (3) (डी) (III) की वैधता को लेकर थी, बल्कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संक्षेप में ‘अधिनियम’) की धारा 4 (4) के लिए भी थी। ‘अधिनियम’ की धारा 4 (4) इस प्रकार है: -

‘धारा 4(4)। यदि उपधारा (2) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थियों के साथ

खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है, तो उसे उपधारा (2) के तहत ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा।'

खंड न्यायपीठ ने अधिनियम की धारा 4 (4) की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन 2015 के नियमों के नियम 4 (3) (डी) (III) को *अधिकारातीत* घोषित किया और इसे अपास्त कर दिया। खंड न्यायपीठ ने निर्देश दिया कि, परिणामस्वरूप, भर्ती प्रक्रिया 2015 के असंशोधित नियमों के अनुरूप आयोजित और पूरी की जानी चाहिए।

10. इसके बाद, म.प्र.लो.से.आ. ने खंड न्यायपीठ के निर्णय के अनुपालन में मुख्य परीक्षा को फिर से आयोजित करने का प्रस्ताव करते हुए दिनांक 29/09/2022 का विज्ञापन जारी किया। यह परीक्षा जनवरी, 2023 के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। इसके अलावा, 10/10/2022 को, म.प्र.लो.से.आ. ने 2015 के नियम के असंशोधित नियम 4 के अनुरूप प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम घोषित किया। परिणामस्वरूप, संशोधित नियम 4 (3) (डी) (III) के अनुसार पहले योग्य घोषित किए गए 10,767 अभ्यर्थियों के स्थान पर 13,080 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया गया था।
11. जबकि, कुछ अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष डब्ल्यू.पी. क्रमांक 23828/2022 दायर किया, जिसमें म.प्र.लो.से.आ. द्वारा पूर्व में आयोजित मुख्य परीक्षा के परिणाम को इस आधार पर रद्द करने के निर्णय की चुनौती दी गई कि उन्हें पहली बार में परीक्षा पास करने के बावजूद उक्त परीक्षा में दोबारा बैठना होगा। याचिकाकर्ताओं ने वि.अनु. या. (सी) क्रमांक 5817/ 2023 के माध्यम से, जिससे यह अपील उत्पन्न हुई है, उक्त रिट याचिका में हस्तक्षेप किया, और उनको भी सुना गया। यह रिट याचिका 13/10/2022 को दायर की गई थी।
12. उस प्रक्रम पर, **किशोर चौधरी** (उपरोक्त) में निर्णय दिनांकित 07/04/2022 के स्पष्टीकरण की मांग करते हुए पुनर्विलोकन याचिका क्रमांक 1112 और 1175/ 2022 दायर की गई थी। हालाँकि, खंड न्यायपीठ ने, दिनांक 07/04/2022 के अपने पूर्व निर्णय को रिट न्यायालय द्वारा विचार एवं

निर्वचन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ते हुए, आदेश दिनांक 18/11/2022 के द्वारा पुनर्विलोकन याचिकाओं का निपटारा कर दिया। यह आदेश इसलिए पारित किया गया जब खंड न्याय पीठ को इस तथ्य के बारे में सूचित किया गया कि एक नई रिट याचिका, अर्थात् डब्ल्यू. पी. क्रमांक 23828/ 2022 विचाराधीन है।

13. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने डब्ल्यू. पी. क्रमांक 23828/2022 और समूह, जिसका शीर्षक **'हर्षित जैन और अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य और अन्य'** को 29/11/2022 को अनुमति दी थी। उसमें, विद्वान न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि अभ्यर्थियों की चार श्रेणियों प्रकट होती हैं :

- (i) 10/10/2022 के परिणाम के अनुसार, मुख्य परीक्षा के लिए नये अर्हता प्राप्त आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी (2,721, संख्या में);
- (ii) 1,918 चयन सूची वाले अभ्यर्थी, जिन्होंने 21/03/2021 से 26/03/2021 के मध्य आयोजित मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की थी और साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त की थी;
- (iii) इन 1,918 अभ्यर्थियों में से वे अभ्यर्थी, जिन्हें विशेष मुख्य परीक्षा आयोजित होने और परिणाम सामान्यीकरण होने पर 1,918 अभ्यर्थियों की उस चयन सूची से बाहर कर दिया जाएगा; और
- (iv) 10,767 अभ्यर्थियों में से 8,894 वे अभ्यर्थी, जो पहले मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो सके।

14. विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि यदि मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया गया था, तो चौथी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनकी अभ्यर्थिता को पुनर्जीवित करके लाभ दिया जाएगा, हालांकि, वे पहली बार में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहे थे, और उन अभ्यर्थियों से अधिकार छीन लिया जाएगा जो पहले ही मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे और साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके थे। विद्वान न्यायाधीश ने राय दी कि यह उन अभ्यर्थियों, जिन्हें पात्र घोषित किया गया था और शॉर्ट-लिस्टिंग प्रक्रिया में अर्ह थे, पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और उनके साथ गंभीर अन्याय होगा और यह कि पूरी मुख्य परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने से न केवल भारी लागत आएगी बल्कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के साथ, बिना उनकी किसी गलती के, गंभीर अन्याय भी होगा, जो पहले ही मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे,

और साक्षात्कार के लिए शॉर्ट-लिस्ट किए गए थे। ऐसा मानते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने म.प्र.लो.से.आ. द्वारा 10/10/2022 पर लिए गए निर्णय को अमान्य कर दिया, जिसमें पहले आयोजित मुख्य परीक्षा को रद्द करके एक नई मुख्य परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया था, और म.प्र.लो.से.आ. को फिर से तैयार प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के अनुसार नए योग्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष मुख्य परीक्षा, जैसा कि पहले कई अवसरों पर किया गया था, आयोजित करने का निर्देश दिया। विद्वान न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि इन दो मुख्य परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर, पिछले अवसरों पर म.प्र.लो.से.आ.द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, दोनों सूचियों को मिलाकर और सामान्यीकरण करके, साक्षात्कार के लिए 2015 के नियमों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की एक नई सूची तैयार की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया को छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

15. इस निर्णय से व्यथित होकर, एसएलपी (सी) क्रमांक 5817/2023 के तीन याचिकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खंड न्याय पीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। खंड न्याय पीठ ने रिट अपील क्रमांक 1706/2022 में पारित निर्णय दिनांकित 25/01/2023 द्वारा अपील को यह मानते हुए खारिज किया कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत, उचित और तर्कपूर्ण था और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।
16. इस न्यायालय के समक्ष खंड न्याय पीठ के निर्णय दिनांकित 25/01/2023 को एस. एल. पी. (सी) क्रमांक 5817/ 2023 में चुनौती दी गयी थी, जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न होती है। इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 10/04/2023 के द्वारा, अंतरिम राहत के लिए उसमें की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया, लेकिन निर्देश दिया कि न्याय के हित में, विचाराधीन विज्ञापन के अनुसार कोई भी कार्यवाही इस मामले में पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन रहेगी।
17. इससे पहले, दिनांक 10/01/2023 के विज्ञापन द्वारा, म.प्र.लो.से.आ. ने अधिसूचित किया कि संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के अनुसार नए अभ्यर्थियों के लिए डब्ल्यू. पी. क्रमांक 23828/2022 में निर्णय दिनांकित 29/11/2022 के अनुपालन में मुख्य परीक्षा 15/04/2023 से

20/04/2023 तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद, दिनांक 13/01/2023 के आदेश द्वारा, म.प्र.लो.से.आ. ने कुछ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया, जिन्होंने पहली बार में मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यह संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के आधार पर था, जिसके तहत 1918 अभ्यर्थियों में से 398 अभ्यर्थी, जिन्होंने पहले मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की थी, प्रारंभिक परीक्षा चरण में बाहर हो गए थे।

18. कुछ प्रभावित अभ्यर्थियों ने आदेश दिनांक 13/01/2023 को चुनौती देते हुए रिट याचिका क्रमांक 4783/2023 और समूह के माध्यम से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने निर्णय दिनांकित 23/08/2023 के द्वारा **'वैशाली वाधवानी और अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य और अन्य'** शीर्षक वाले मामलों के उक्त समूह का निपटारा किया गया था। विद्वान न्यायाधीश ने उन मामलों को आंशिक रूप से अनुमति दी, लेकिन म.प्र.लो.से.आ. को पहली मुख्य परीक्षा और संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के आधार पर आयोजित विशेष मुख्य परीक्षा के परिणाम का विलय और सामान्यीकरण करने का निर्देश दिया, जैसा कि **हर्षित जैन** (उपरोक्त) में निर्देश दिया गया था। इसके बाद, उसी विद्वान न्यायाधीश ने दिनांक 07/10/2023 के निर्णय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 25087/2023, जिसका शीर्षक **'प्रियंका पांडे विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य और अन्य'** था, का निपटारा यह कहते हुए किया कि **वैशाली वाधवानी** (उपरोक्त) में उनका निर्णय लोकलक्षी था और यह निर्णय उन सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा जिन्होंने पहली बार में मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की थी और म.प्र.लो.से.आ. को निर्देश दिया कि वे अभ्यर्थियों, जो न्यायालय के समक्ष पक्षकार थे और वे भी जो नहीं थे, के बीच भेदभाव न करें।

19. संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के अनुसार पात्र घोषित किये गये आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए विशेष मुख्य परीक्षा 15/04/2023 से 20/04/2023 तक आयोजित की गई थी। दोनों मुख्य परीक्षाओं के परिणामों को सामान्यीकरण एवं विलय कर उनके परिणाम दिनांक 18/05/2023 को घोषित किये गये। म.प्र.लो.से.आ. द्वारा दो विशेषज्ञों के परामर्श और मार्गदर्शन और सलाह के तहत दो मुख्य परीक्षाओं के परिणामों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया की गई थी। एक सूत्र लागू करके दो मुख्य

परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के संदर्भ में सामान्यीकरण किया गया था, ताकि उन सभी को एक समान स्थिति में लाया जा सके। इस प्रकार, 1983 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए पात्र थे। साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित 1983 अभ्यर्थियों में से, पूर्व में योग्य घोषित 1918 अभ्यर्थियों के सूची में से 1520 अभ्यर्थी प्रथम परीक्षा के आधार पर और शेष 463 अभ्यर्थी या तो विशेष मुख्य परीक्षा में या सामान्यीकरण प्रक्रिया में सफल हुए। कुल मिलाकर, 1918 अभ्यर्थियों में से 398 अभ्यर्थी, जिन्हें पहले साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया गया था, बाहर हो गए और अब पात्र नहीं रहे।

20. इसके बाद म.प्र.लो.से.आ.ने दिनांक 23/06/2023 को अधिसूचना जारी करते हुए 1983 चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया। बाहर किये गए 398 अभ्यर्थियों में से कुछ ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं और उन्हें साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति देकर अंतरिम राहत दी गई। साक्षात्कार 09/08/2023 से 19/10/2023 तक आयोजित किए गए थे।
21. म.प्र.लो.से.आ. ने **वैशाली वाधवानी** (उपरोक्त) के निर्णय से व्यथित होकर रिट अपील क्रमांक 2017/ 2023 इस आधार पर दायर की कि वह इस गलत धारणा पर आगे बढ़ा कि सामान्यीकरण प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों पर लागू की गई थी, न कि उसके बाद आयोजित दो मुख्य परीक्षाओं में प्राप्त अंकों पर। उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने अंतरिम आदेश दिनांक 19/12/2023 द्वारा **वैशाली वाधवानी** (उपरोक्त) में पारित आदेश दिनांक 23/08/2023 पर रोक लगा दी। इससे व्यथित होकर, वैशाली वाधवानी और अन्य ने रिट अपील क्रमांक 2017/2023 में खंड न्याय पीठ द्वारा लगायी गई रोक को हटाने की मांग करते हुए विविध आवेदन दायर किए। इन आवेदनों को 12/02/2024 को खारिज कर दिया गया था।
22. हमें सूचित किया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य सामान्यीकरण के बाद घोषित परिणामों के आधार पर अगसर हुआ और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश भी जारी किए, जिससे वे सेवा में शामिल हो सके। जहाँ तक एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 5817/ 2023 के सात याचिकाकर्ताओं का संबंध है, म.प्र.लो.से.आ. ने कहा कि उनमें से केवल तीन ने प्रारंभिक परीक्षा, पूर्व-

संशोधित परिणाम दिनांक 21/12/2020 के अनुसार, उत्तीर्ण की थी और मुख्य परीक्षा देने के लिए पात्र थे। हालाँकि, उनमें से एक मुख्य परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ, जबकि अन्य दो ने परीक्षा दी और असफल रहे। इसके बाद, उन सभी सातों को संशोधित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम दिनांक 10/10/2022 के संदर्भ में पात्र घोषित किया गया था, लेकिन वे 18/05/2023 पर घोषित परिणामों के अनुसार, विशेष मुख्य परीक्षा और उसके बाद आयोजित सामान्यीकरण की प्रक्रिया में असफल रहे।

- 23.** यह ध्यान दिया जाए कि वैशाली वाधवानी और अन्य, रिट याचिका क्रमांक 4783/2023 और समूह याचिकाओं में, याचिकाकर्ता, उच्च न्यायालय के समक्ष कुछ हद तक सफल रहे क्योंकि उनकी रिट याचिकाओं को, म.प्र.लो.से.आ. को दो सूचियों, यानी पहली मुख्य परीक्षा के परिणाम और विशेष मुख्य परीक्षा के परिणाम को विलय और सामान्य करने का निर्देश के साथ, दिनांक 23/08/2023 के निर्णय द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। तथापि, उन्होंने दिनांक 23/08/2023 के उक्त निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी (सी) क्रमांक 23514/2023 दायर करने का विकल्प चुना। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, रिट अपील क्रमांक 2017/2023 इसी निर्णय के विरुद्ध म.प्र.लो.से.आ. द्वारा उच्च न्यायालय की खंड न्याय पीठ के समक्ष दायर की गई थी और उक्त अपील विचाराधीन है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि, वैशाली वाधवानी और अन्य लोगों द्वारा उसमें दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था, जिसमें निर्णय दिनांक 23/08/2023 पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई थी और उस आदेश को उनके द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी। दिनांक 23/08/2023 के निर्णय के संबंध में पारित स्थगन आदेश को हटाने की मांग करने के बाद, वास्तव में, इसे लागू करने की मांग करते हुए, यह आश्चर्य की बात है कि वैशाली वाधवानी और अन्य लोगों ने इसी फैसले को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती देने की मांग की। किसी भी स्थिति में, भले ही उन्हें उक्त निर्णय से कोई शिकायत हो, वे उच्च न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अपील के उपाय से बचकर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए, हम उनकी विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।

- 24.** इसी तरह, ममता मिश्रा, जो वैशाली वाधवानी के साथ रिट याचिका क्रमांक 4783/2023 में भी याचिकाकर्ता थीं, ने उसमें पारित निर्णय

दिनांक 23/08/2023 को आक्षेपित करते हुए एसएलपी (सी) क्रमांक 27620/2023 दायर करना चुना। समान कारणों से, जैसा कि वैशाली वाधवानी और अन्य द्वारा दायर एसएलपी (सी) क्रमांक 23514/2023 के संदर्भ में कहा गया है, यह विशेष अनुमति याचिका भी विचार के योग्य नहीं है।

**25.** चार अभ्यर्थियों ने एसएलपी (सी) क्रमांक 5817/ 2023 के अभिलेख पर आने के लिए आई.ए. क्रमांक 102595/2023 प्रस्तुत किया था। उन्होंने दावा किया कि वे पहले याचिकाकर्ता दीपेंद्र यादव के समान स्थिति में हैं। 398 बाहर निकाले गए अभ्यर्थियों में से दो के द्वारा आई.ए. क्रमांक 132609/2023 दायर किया गया था, जो एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 5817/2023 में पक्षकार बनाने की मांग कर रहे थे। 182 अभ्यर्थियों द्वारा एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 5817/2023 के अभिलेख पर आने के लिए आई.ए. क्रमांक 228055/2023 दायर किया गया था, ताकि उसमें याचिकाकर्ताओं का समर्थन किया जा सके। उन्होंने कहा कि वे दो मुख्य परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के सामान्यीकरण और विलय के बाद बाहर हो गए थे। हालाँकि, मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा-2019 में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की शिकायतें अकेले उनके लिए व्यक्तिगत नहीं हैं और हम बड़े मुद्दे को हल करने के लिए चिंतित हैं, इसलिए हम इन व्यक्तिगत अभ्यर्थियों में से किसी को भी शामिल करना, जो उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, या उनको सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं समझते हैं। अभिलेख पर मौजूद पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता द्वारा, किसी भी स्थिति में, सभी प्रासंगिक मुद्दों और पहलुओं को व्यापक और निर्णायक रूप से प्रस्तुत किया गया है और इसमें और कुछ जोड़ा जाना बाकी नहीं है।

**26.** इसके अलावा, हमने सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करने में म.प्र.लो.से.आ. का मार्गदर्शन करने वाले दो विशेषज्ञों से अनुरोध किया था कि वे हमारे सामने पेश हों ताकि अपनाई गई कार्यप्रणाली की व्याख्या की जा सके। दो विशेषज्ञों, अर्थात् डॉ. वास्तवशपति शास्त्री और श्री इंद्रेश मंगल को सुनने के बाद, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि सभी अभ्यर्थियों को एक समान मंच पर लाने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया, जो पूरी तरह निष्कपट थी, को अपनाया गया था ताकि साक्षात्कार के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची को अंतिम रूप

दिया जा सके। यह दो मुख्य परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के लिए समान रूप से एक सूत्र लागू करके किया गया था, ताकि उनके अंक तुलनीय और एक एकीकृत अंक सूची तैयार करने में सक्षम हो सकें।

**27. महत्वपूर्ण रूप से, इस न्यायालय के पास उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य विरुद्ध अतुल कुमार द्विवेदी और अन्य** में भर्ती प्रक्रिया में अंकों के मॉडरेशन/स्केलिंग के लागू होने और इस तरह की प्रक्रिया कब अनुमत होगी, विचार करने का अवसर था । यह देखा गया कि अंकों के सामान्यीकरण का अर्थ है विभिन्न समय सत्रों (पालियों) में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को एक निश्चित संख्या तक बढ़ाना और/या कम करना, जैसा कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था, और यह ध्यान दिया गया कि इस तरह की सामान्यीकरण तकनीकें दो या दो से अधिक अलग-अलग डेटा सेटों से संबंधित सामान्यीकृत मूल्यों की तुलना करने में इस तरह से मदद करती हैं कि यह डेटा सेटों के पैमाने में भिन्नता के प्रभावों को समाप्त कर देती है, यानी बड़े मूल्यों वाले डेटा सेट की तुलना आसानी से छोटे मूल्यों के डेटा सेट के साथ की जा सकती है और एक सूत्र लागू करके सामान्यीकृत स्कोर/प्रतिशत प्राप्त किया जाता है। तदनुसार, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सामान्यीकरण की प्रक्रिया को अपनाने में की गई मेहनत कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप थी। इस न्यायालय ने आगे कहा कि लोक सेवा आयोगों सहित विशेषज्ञ निकायों द्वारा लिए गए निर्णयों में तब तक सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि शक्ति के मनमाने और दुर्भावनापूर्ण प्रयोग का मामला स्थापित नहीं किया जाता है।

**28. इसी तरह, ताजवीर सिंह सोढ़ी और अन्य विरुद्ध जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य मामलों** में, इस न्यायालय ने कहा कि चयन प्रक्रिया की स्वायत्तता और अखंडता को बनाए रखने के महत्व को स्वीकार करते हुए, सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप से आमतौर पर बचा जाना चाहिए। यह देखते हुए कि न्यायालय यह स्वीकार करेंगे कि चयन की प्रक्रिया में उच्च स्तर की विशेषज्ञता और विवेकाधिकार शामिल है और न्यायालयों के लिए यह उचित नहीं होगा कि वे अपने निर्णय को चयन समिति के निर्णय से प्रतिस्थापित करें, यह देखा गया कि न्यायिक समीक्षा/पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए चयन प्रक्रिया के गुण-दोष में विचार करना न्यायालय के

अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं है, एक ऐसा कार्य जो चयन समिति का विशेषाधिकार है और चयन समिति के विशेषज्ञ अधिकार क्षेत्र के भीतर है, निश्चित रूप से इस चेतावनी के अधीन है कि यदि कदाचार या वैधानिक नियमों के उल्लंघन के सिद्ध आरोप हैं, तो केवल अंतर्निहित मनमानेपन के ऐसे मामलों में ही न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं।

29. विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत व्याख्या तकनीकी होने के कारण, हम इस निर्णय को उसी के साथ बोझ डालने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, लेकिन म.प्र.लो.से.आ. का विरोध करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता / अधिवक्ता, जिन्होंने भी विशेषज्ञों को सुना, ने अपनाई गई प्रक्रिया या लागू किए गए सूत्र में कोई कमी हमारे ध्यान में नहीं लाई, जिससे किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय या कोई मनमानी की गयी थी। इसलिए, हमारा मानना है कि सामान्यीकरण की प्रक्रिया और दो मुख्य परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के परिणामी विलय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।
30. हम यह भी नोट कर सकते हैं कि 2015 के नियमों के नियम 4 (3) (डी) (III) ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के हितों को स्पष्ट रूप से नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ऐसी श्रेणियों के मेधावी अभ्यर्थी, जिन्होंने किसी भी आरक्षण लाभ/छूट का लाभ नहीं उठाया था, उन्हें भी उन आरक्षित श्रेणियों से संबंधित माना जाना था और उन्हें प्रारंभिक परीक्षा परिणाम चरण में मेधावी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ अलग नहीं किया जाना था। परिणामस्वरूप, उन्होंने आरक्षित श्रेणी के स्थानों पर कब्जा करना जारी रखा, जो अन्यथा उस श्रेणी की योग्यता सूची में नीचे के योग्य आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों मिलता, अगर उन्हें उनके अंकों के आधार पर मेधावी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ शामिल किया जाता।
31. इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की न्याय पीठ ने **सौरभ यादव और अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 3 मामले** में, इस सिद्धांत की पुष्टि की कि किसी भी ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी 'ओपन कैटेगरी' में चुने जाने के हकदार होंगे। और यदि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित ऐसे अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाने के हकदार हैं, तो उनके चयन को ऊर्ध्वाधर आरक्षण की श्रेणियों के लिए आरक्षित कोटे में नहीं गिना जा सकता है, जिससे वे संबंधित हैं। यह आगे देखा गया कि आरक्षण,

ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों, लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के तरीके हैं और इन्हें कठोर 'स्लॉट' के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जहां एक अभ्यर्थी की योग्यता, जो अन्यथा उसे ओपन जनरल कैटेगरी में स्थान पाने का हकदार बनाती है, को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। न्यायपीठ ने आगे कहा कि 'ओपन कैटेगरी' सभी के लिए खुली है और इसमें अभ्यर्थी के लिए एकमात्र शर्त योग्यता है, भले ही किसी भी प्रकार का आरक्षण लाभ उसके लिए उपलब्ध हो।

- 32.** यह स्थापित विधिक स्थिति होने के कारण, ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश राज्य ने स्वयं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को हो रहे नुकसान को महसूस किया और नियम 4 को पुनर्स्थापित करने का फैसला किया, जैसा कि यह पहले था, जिसने प्रारंभिक परीक्षा के चरण में ही योग्य मेधावी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मेधावी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से अलग करके प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करना संभव बनाया। चूंकि यह वह प्रक्रिया थी जो **किशोर चौधरी** (उपरोक्त) मामले में निर्णय के बाद शुरू की गई थी, जिसके तहत अधिक संख्या में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की और वे मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र माने गये, इसलिए इस तरह की प्रक्रिया की वैधता और विधिमान्यता पर कोई विवाद नहीं हो सकता है।
- 33.** हम यह भी नोट कर सकते हैं कि पुनर्विलोकन याचिकाओं के खारिज होने के बाद इस न्यायालय के समक्ष किशोर चौधरी (उपरोक्त) के निर्णय को चुनौती नहीं दी गई थी। इसमें निर्देश दिया गया था कि 2015 के असंशोधित नियमों के अनुसार परीक्षा की प्रक्रिया को आयोजित और पूरा करने का था। **हर्षित जैन** (उपरोक्त) में बाद के निर्णय में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष मुख्य परीक्षा आयोजित करने की कार्यप्रणाली की वकालत की गई थी, जो 2015 के असंशोधित नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को संशोधित करने के बाद पात्र पाए गए थे। इस निर्देश को खंड न्याय पीठ द्वारा उचित पाया गया, जिसने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से रिट अपील को खारिज कर दिया और हमारी सुविचारित राय में, यह सही है।

34. उपरोक्त विश्लेषण पर, हम पाते हैं कि रिट अपील क्रमांक 1706/2022 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड न्याय पीठ जबलपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 25/01/2023 में किसी भी आधार पर हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करते, चाहे वह तथ्य या विधि सम्बन्धी हो ।

इसलिए, वि.अनु.या. (सी) क्रमांक 5817 /2023 से उत्पन्न सिविल अपील गुण दोष से रहित है और तदनुसार खारिज की जाती है।

इसके अलावा, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, हम गुण दोष के आधार पर वि.अनु. या. (सी) क्रमांक 23514 और 27620/ 2023 पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। दोनों वि.अनु.या.(यें) खारिज की जाती है।

लंबित अंतरिम आवेदन भी खारिज माने जायेंगे।

पक्षकार अपना-अपना खर्च वहन करेंगे ।

*शीर्ष टिप्पणियां तैयार की गयी : अंकित ज्ञान*

*मामले का परिणाम:*

*सिविल अपील और वि.अनु.या. (यें) खारिज।*